State Council of Educational Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर,रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्रमांक/शिक्षक शिक्षा/30–2 डी.एड./दूरस्थ शिक्षा /2014–15 2915 रायपुर दिनांक 14.02.14

प्रति,

समस्त अध्ययन केन्द्र प्रभारी, दूरस्थ शिक्षा
डाइट/बी.टी.आई./शास.उ.मा.वि./अशास.प्रशि.संस्थाएँ

विषय :– दूरस्थ शिक्षा से सेवारत अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों के प्रशिक्षण अंतर्गत सत्र 2014–15 के संपर्क कक्षाओं एवं केन्द्र व्यवस्था संबंधी निर्देश।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत ''निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009'' के निर्देशानुरुप कक्षा 1से 8 तक अध्यापन करने वाले समस्त सेवारत अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को 31 मार्च 2015 तक प्रशिक्षित किया जाना है। राज्य के समक्ष 45223 अप्रशिक्षित प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को उक्त समय–सीमा में प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है। इस हेतु राज्य में 149 अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा डी.एड. प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है।

निर्धारित समय–सीमा को ध्यान में रखते हुए यह इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का अंतिम सत्र है। वर्तमान सत्र 2014–15 में केन्द्रों के संपर्क कक्षाओं एवं प्रशिक्षण संचालन के संबंध में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें –

1. वर्तमान सत्र 2014–15 में केन्द्रों में 32 दिवसीय संपर्क कार्यक्रम केवल द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों हेतु ही आयोजित किया जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय–सारणी एस.सी.ई.आर.टी.के वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इसके अनुरुप ही संपर्क कार्यक्रम संचालित करें।
2. ऐसे प्रशिक्षार्थी जो प्रथम वर्ष की सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हों एवं अनुत्तीर्ण हो गए हों अथवा एसाइन्मेंट/प्रोजेक्ट एवं शालेय चिंतन मनन कार्यक्रम पूरा नहीं करने के कारण अनुत्तीर्ण हो गए हों, उन्हें भी द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाना है। ऐसे प्रशिक्षार्थी शीतकालीन परीक्षा में द्वितीय/तृतीय अवसर के रुप में प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे एवं उत्तीर्ण होने पर आगामी मई–जून 2015 की मुख्य परीक्षा में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यदि वे शीतकालीन परीक्षा द्वितीय/तृतीय अवसर में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो उन्हें मई–जून 2015 की मुख्य परीक्षा में दोनों वर्ष की परीक्षा में एक साथ सम्मिलित होना होगा। द्वितीय वर्ष में उपस्थिति पंजी में पृथक पृष्ठ में इनकी उपस्थिति ली जावे।
3. जो प्रशिक्षार्थी 75 प्रतिशत् से कम उपस्थिति के कारण विगत् सत्र में प्रथम वर्ष की परीक्षा में नहीं बैठ पाए हों उनके लिए पृथक से 10 दिनों के अतिरिक्त सम्पर्क कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। वे द्वितीय वर्ष के सम्पर्क कक्षाओं में उपस्थिति देंगे एवं प्रथम वर्ष की अतिरिक्त कक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं जिसमें 75 प्रतिशत् उपस्थिति पूरी कर वे शीतकालीन परीक्षा अथवा मई–जून 2015 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होकर प्रथम वर्ष को पूरा करेंगे। ऐसे प्रशिक्षार्थी 75 प्रतिशत् उपस्थिति पूरी करने हेतु प्रथम वर्ष की अतिरिक्त कक्षाओं में शामिल होंगे एवं द्वितीय वर्ष की

कक्षाओं में भी सम्मिलित होंगे एवं उसमें भी 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करेंगे ताकि प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होने के बाद द्वितीय वर्ष की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकें। द्वितीय वर्ष की उपस्थिति पंजी में ऐसे प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति भी पृथक पृष्ठ में लेवें। इसके उपरान्त भी यदि कोई प्रशिक्षार्थी प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होता है और द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करने के कारण परीक्षा से वंचित रहता है तो चूँकि आगामी सत्र में दूरस्थ शिक्षा की कक्षाएँ संचालित नहीं होंगी। अतः ऐसी स्थिति में शासन स्तर से जारी निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

4. 75 प्रतिशत् उपस्थिति पूरी करने हेतु प्रशिक्षार्थियों को इस सत्र में विशेष रुप से सूचित किया जाए क्योंकि इस आधार पर परीक्षा में बैठने से वंचित रह गए प्रशिक्षार्थी यदि डी.एड.उपाधि प्राप्त नहीं कर पाते तो इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः यदि प्रशिक्षार्थी किसी तरह के लंबे अवकाश पर जाते हैं, तो भी वे संपर्क कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देवें, ताकि परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवश्यक उपस्थिति पूरी कर सकें। प्रशिक्षार्थी इस बात का ध्यान रखें कि प्रशिक्षण प्राप्त करना उनकी व्यक्तिगत् जिम्मेदारी भी है, शासन द्वारा उन्हें सेवा हेतु अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने अवसर उपलब्ध कराया गया है जिसे व्यर्थ न जाने दें।

5. चूँकि वर्तमान सत्र 2014–15 में प्रथम वर्ष की कक्षाएँ नहीं होनी है,अतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नार्म्स एवं राज्य शासन द्वारा स्वीकृत पद–संरचना को ध्यान में रखते हुए केन्द्रों में कार्य कर रहे दूरस्थ शिक्षा संकाय की पद–संरचना इस प्रकार होगी–

(अ) अकादमिक स्टॉफ –

पद	संख्या
प्राचार्य (केन्द्र कार्यक्रम प्रभारी)	01 पदेन
केन्द्र समन्वयक	01
सहायक केन्द्र समन्वयक	01 (जहाँ द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों की संख्या 250 से अधिक हो वहाँ 02 रखे जा सकते हैं)
विषय विशेषज्ञ (स्त्रोत व्यक्ति)	द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों की संख्या 100 पर =12 स्त्रोत व्यक्ति द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों की संख्या 150 से अधिक पर =18 स्त्रोत व्यक्ति द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों की संख्या 200 से अधिक पर =24 स्त्रोत व्यक्ति

(ब) कार्यालयीन स्टॉफ –

पद	संख्या
एकाउन्टेन्ट कम क्लर्क	01
डाटा एंट्री ऑपरेटर	01 (जहाँ द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों की संख्या 250 से अधिक हो वहाँ 02 रखे जा सकते हैं)
भृत्य	01 (जहाँ द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों की संख्या 250 से अधिक हो वहाँ 02 रखे जा सकते हैं)

टीप–

- केन्द्र को मानदेय का भुगतान उपरोक्त निर्देशानुसार रखे गए संकाय हेतु ही किया जावेगा, अतः

  अतिरिक्त व्यक्तियों को तत्काल कार्यक्रम से पृथक् कर देवें। स्थानांतरण व स्वेच्छा से छोडने वालों को पहले पृथक करें, इसके बाद भी यदि अतिरिक्त स्त्रोत व्यक्ति बचते हैं तो उन स्त्रोत व्यक्तियों को पृथक करें, जिन्होंने द्वितीय वर्ष के विषयों का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। इसके बाद की स्थिति में केन्द्र प्रभारी व केन्द्र समन्वयक मिलकर स्त्रोत व्यक्तियों के विगत् सत्रों के कार्यों के आधार पर निर्णय लेवें।

- 75 प्रतिशत् से कम उपस्थिति के कारण परीक्षा से वंचित प्रशिक्षार्थियों के लिए आयोजित

  अतिरिक्त कक्षाओं में केन्द्रों में उपरोक्तानुसार (टेबल अ) रखे गए स्त्रोत व्यक्तियों से ही अध्यापन कार्य कराए जाएँ, इस हेतु अतिरिक्त स्त्रोत व्यक्ति किसी भी स्थिति में नहीं रखे जाने हैं। व्यवस्था इस प्रकार की जावे कि प्रत्येक स्रोत व्यक्ति का सम्पर्क कार्यक्रम में कार्य दिवस 32 दिवस से अधिक न हो।

6. अभी मई–जून 2014 से कराया जा रहा आनलाइन पंजीयन केवल राज्य में अप्रशिक्षित शिक्षकों की जानकारी के लिए डाटा–संग्रहण हेतु कराया जा रहा है। केन्द्रों में न तो इनके पंजीयन फार्म लिए जाने हैं और न ही किसी तरह की प्रवेश प्रकिया की जानी है। प्राप्त डाटा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली को भेजे जावेंगे एवं वहॉ से प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे जारी रखने की अनुमति मिलने पर राज्य शासन द्वारा इस पर निर्णय लिया जावेगा, जिसके आधार पर एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

7. प्रत्येक केन्द्र को आकस्मिक व्यय हेतु 10,000/–रु. की राशि प्रथम किश्त के रुप में जारी की जा रही है। केन्द्रों में इस राशि का व्यय पूर्व में जारी पत्र क्र./शिक्षक शिक्षा/डी.एड./दूरस्थशिक्षा/30–2/2012–13/4114/दिनांक 04.09.2012 के अनुसार करें। कुछ केन्द्रों के स्त्रोत व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें संपर्क कक्षाओं के समय आवश्यक स्टेशनरी व पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इस तरह की शिकायतें प्राप्त न हों, इस बात का ध्यान रखें तथा आवश्यक स्टेशनरी व गतिविधियों के लिए सामग्री तत्काल उपलब्ध करावें, ताकि संपर्क कार्यक्रमों का संचालन सुचारु रुप से हो सके। यह भी ध्यान रखें कि असाईनमेन्ट एवं प्रोजेक्ट के अंकों के जांचकर्ता द्वारा मूल्यांकन उपरांत प्रविष्टि सही हो।

(संजय कुमार ओझा)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

पृ.क्रमांक/शिक्षक शिक्षा/30–2 डी.एड./दूरस्थ शिक्षा /2014–15 रायपुर दिनांक

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, छत्तीसगढ़,रायपुर को सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,महानदी.भवन, मंत्रालय नया रायपुर को सूचनार्थ।
3. आयुक्त,लोक शिक्षण संचालनालय इन्दावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।

4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर को सूचनार्थ।
5. राज्य मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान,राज्य परियोजना कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल पेंशनबाड़ा, रायपुर को सूचनार्थ।
7. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
8. संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग , इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
9. सर्व कलेक्टर, जिला .....छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत.....को सूचनार्थ।
11. सर्व जिला शिक्षा अधिकारी .....अपने जिले के अध्ययन केन्द्रों के चिन्हांकित स्रोत व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
12. सर्व सहायक आयुक्त .....आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सूचनार्थ ।
13. सर्व जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन..... को सूचनार्थ।
14. सर्व प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान.....को सूचनार्थ ।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर